जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

( 2019 की सिविल अपील संख्या 8437)

नवंबर 06,2019

[ ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस। 7 - एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शक्ति 270 दिनों की गणना के उद्देश्य से किसी भी अवधि को बाहर रखें-सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने की शक्ति-तथ्यों पर, बैंक द्वारा आवेदन जमा करना। 7 अपीलार्थी कंपनी के विरुद्ध संहिता

एन. सी. एल. टी. के समक्ष क्योंकि कंपनी एन. पी. ए. (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गई थी-विचाराधीनता के दौरान, उक्त परियोजना के संबंध में घर खरीदारों द्वारा रिट याचिका-इस बीच अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा घर खरीदारों सहित अपीलकर्ता कंपनी के सभी हितधारकों से दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया इसके बाद, एन. सी. एल. टी. के समक्ष घर खरीदारों द्वारा आवेदन जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि आवंटन के मतदान प्रतिशत की गणना किस तरीके से की जानी चाहिए-बैंक ने सी. आई. आर. पी. के 270 दिनों की अवधि से वित्तीय लेनदारों के वोटों की गिनती के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन की लंबित अवधि को बाहर रखने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक और आवेदन दायर किया-उपरोक्त आवेदन सहित लंबित स्पष्टीकरण प्रस्तावों के बावजूद सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा निर्देश जारी करना-एन. सी. एल. टी. ने बहिष्करण की अनुमति दी। हाल के विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, समाधान योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब निगमित ऋणदाता के पुनर्गठन का प्रावधान शामिल हो सकता है, जिसमें विलय, समामेलन और विलयन शामिल हैं और इससे भी अधिक ऋणदाताओं की समिति-सी. ओ. सी. को न केवल समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने की शक्ति दी गई है, बल्कि प्रस्तावित वितरण के तरीके पर भी विचार करने की शक्ति दी गई है, जो ऋणदाताओं के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकते हैं-तत्काल मामले में, अंत में केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया था और अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था और कहा गया था कि उन्हें खारिज कर दिया गया था।

312 जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। & एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

हालांकि, विनियमन 36 बी (7) के अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, आईआरपी को दो बोलीदाताओं (सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी) को समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध को फिर से जारी करने की अनुमति देना उचित समझा जाता है।

और/या उन्हें संशोधित समाधान योजना (ओं) प्रस्तुत करने के लिए बुलाना, जिसे फिर उचित विचार के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जा सकता है -

विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को निगमित देनदार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और करना चाहिए, ऐसा न हो कि यह संहिता के तहत परिसमापन प्रक्रिया के संपर्क में आ जाए-ऐसा करने का झुकाव है क्योंकि परियोजना को लागू किया गया है

आंशिक रूप से और 20,000 से अधिक घर खरीदारों में से, उनमें से एक बड़ी संख्या को कब्जे में ले लिया गया है और शेष काम प्रगति पर है और कुछ मामलों में पूरा होने के एक उन्नत चरण में है इस प्रकार, पक्षों के लिए पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने के लिए और अपीलकर्ता कंपनी, आईआरपी के सभी हितधारकों के हित में।

इस आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश

पहले 45 दिनों में आई. आर. पी. केवल संशोधित समाधान योजना को आमंत्रित करेगा।

अंतिम बोलीदाताओं से, और 45 दिनों के दूसरे चरण में, किसी भी कठिनाई को दूर करने और उचित आदेश पारित करने के लिए मार्जिन प्रदान किया जाता है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

चित्रा शर्मा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। ( 2018 )

9 स्केल 490 पर भरोसा किया गया।

मामला कानून संदर्भ

( 2018 ) 9 स्केल 490

उस पर भरोसा करें

पैरा

11,13,14,15,20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8437

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 30.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 536 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 6486।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., अजीत कुमार सिन्हा, अरविंद वर्मा,

सिद्धार्थ दवे, फली एस. नरीमन, अनुपम लाल दास, जयदीप गुप्ता,

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती रेवती राघवन, एस. मुथु कृष्णन, एम. एल. लाहोटी, अंचित श्रीपत, हिमांशु शेखर, ऐश्वर्या सिन्हा, सुश्री मोहिनी प्रिया, इवान, आलोक के. सिंह, राहुल कुमार, इलेश शुक्ला, [2019] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चेतन्या सिंह, जय किशोर, सुश्री जेबा खैर, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, विशाल गुप्ता, सुबेश शर्मा, सुमित शर्मा, दिव्यांशु गुप्ता, अजय जैन, जिनेंद्र जैन, बृजेश यादव, अभिषेक जैन, सुश्री तन्नू, विश्वजीत दुबे, सुश्री सुरभी खट्टार, आदित्य मारवाह, मैसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास पारिजात किशोर, निकुंज दयाल, विकास मेहता, अनुश्री, वसंत भरानी, जय किशोर सिंह, एल. के. भूषण, श्याम सुंदर, मेसर्स। दुआ एसोसिएट्स, विशाल गुप्ता, रवींद्र कुमार, अमित कुमार मिश्रा, शशांक मनीष, सुश्री स्मृति शाह, सुश्री तिवंकले कटारिया, शिवम पांडे, यश कुमार, हिमांशु शेखर, अमित पवन, सुमंत बत्रा, सुश्री निहारिका शर्मा, रबीन मजूमदार, प्रशांत सिंह, एस. एस. रिज़ी, एच. वी. शंकर, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

हेमंत कुमार सिंह, व्यक्तिगत रूप से पार्टी।

आदेश

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

1. अपील दायर करने की अनुमति डायरी संख्या में दी गई है।

27229/2019 .

2. ये अपीलें जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (संक्षेप में 'जे. आई. एल.') से संबंधित कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (संक्षेप में 'सी. आई. आर. पी.') से निकलती हैं, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'एन. सी. एल. ए. टी.') ने 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.536 और 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.708 और 30 जुलाई, 2019 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उसमें आवेदनों का निपटारा किया। इस निर्णय द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. डी. बी. आई. बैंक द्वारा 270 दिनों की निगमित समाधान प्रक्रिया अवधि की गणना के उद्देश्य से 17 सितंबर, 2018 से 4 जून, 2019 तक की अवधि को बाहर करने के लिए मांगी गई राहत प्रदान की और परिणामी निर्देश जारी किए।

3. अनावश्यक विवरणों से वंचित, आई. डी. बी. आई. बैंक ने सीपी नं. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष जे. आई. एल. के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 (संक्षेप में, 'आई एंड बी संहिता') के तहत (आई एंड बी) 77/ए. एल. डी./2017

( ‘ संक्षेप में 'एन. सी. एल. टी.'), क्योंकि जे. आई. एल. एन. पी. ए. (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गया था। उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, जे. आई. एल. की कथित परियोजना के संबंध में घर खरीदारों द्वारा इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। जिसका निपटारा 9 अगस्त, 2018 को चित्रा शर्मा और अन्य के मामले में किया गया। बनाम भारत संघ और Ors.[1]। इस अदालत ने जारी किया

निम्नलिखित निर्देशः

1 2018 ( 9 ) स्केल 490 जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। & एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

" 42. तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

( i) संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि इस आदेश की तारीख से शुरू होगी। यदि 90 दिनों के विस्तार के लिए आवेदन करना आवश्यक हो जाता है, तो हम एन. सी. एल. टी. को उचित आदेश पारित करने की अनुमति देते हैं।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार;

( (ग) हम आई. आर. पी. को तीन लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं के अलावा, जिनके बोलियों या, जैसा भी मामला हो, संशोधित बोलियों पर भी विचार किया जा सकता है, आवेदकों द्वारा समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रुचि की नई अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं। ( iv) जे. आई. एल./जे. ए. एल. और उनके प्रवर्तक इसके लिए अयोग्य होंगे -

के प्रावधानों के आधार पर सी. आई. आर. पी. में भाग लें

धारा 29 ए;

( v) भारतीय रिज़र्व बैंक को इस न्यायालय में अपने आवेदन के संदर्भ में अनुमति दी गई है कि वह बैंकों को निगमित दिवाला समाधान शुरू करने का निर्देश दे।

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ कार्यवाही;

( vi) जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई 750 करोड़ रुपये की राशि उस पर उपार्जित ब्याज के साथ एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जाएगी और निवेशित बनी रहेगी और इस तरह के निर्देशों का पालन करेगीः

एन. सी. एल. टी. द्वारा जारी किया जा सकता है।

4. इसके परिणामस्वरूप, मामला एन. सी. एल. टी. के समक्ष आगे बढ़ा

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी। अंतरिम समाधान पेशेवर

संक्षेप में) ने सभी जे. आई. एल. से दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

घर खरीदारों सहित बुजुर्ग। आई. आर. पी. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

ऋणदाताओं की समिति (संक्षेप में 'सी. ओ. सी.')

निम्नलिखित आधार पर कैटिंग प्राधिकरणः

62.3 % घर खरीदार और 0.4 % सावधि जमा धारक [2019] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. घर खरीदारों के संघ में से एक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन दायर कर मतदान के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। आबंटितों (घर खरीदारों) के प्रतिशत की गणना की जाएगी। वह आवेदन 17 सितंबर, 2018 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया था। इसके बाद

संबंधित अधिकारियों को सुनकर, एन. सी. एल. टी. के सदस्यों ने इस मुद्दे पर मतभेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले को तीसरे सदस्य के समक्ष रखने के लिए एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष को संदर्भित किया गया। आखिरकार, तीसरे सदस्य द्वारा 24 मई, 2019 को एक आदेश पारित किया गया। 24 मई, 2019 के उक्त आदेश को जेपी ग्रीन क्रिसेंट हाउस बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इसके समक्ष चुनौती दी गई थी। एन. सी. एल. ए. टी. 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.708 है।

6. इस बीच, आई. डी. बी. आई. बैंक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन की लंबित अवधि को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (संक्षेप में 'सी. आई. आर. पी.') के 270 दिनों की अवधि से संबंधित वित्तीय लेनदारों के मतों की गिनती के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण। जबकि उक्त आवेदन था

लंबित रहने पर, 6 मई, 2019 के आदेश द्वारा एन. सी. एल. टी. ने अधिकारियों, आबंटियों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से इस पर अपना जवाब दाखिल करने का आह्वान किया

लंबित आवेदन के परिणाम के अधीन, संबंधित बोलीदाता से प्राप्त समाधान योजना पर विचार करने के लिए, कानून के अनुसार सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता। आई. डी. बी. आई. बैंक, एन. सी. एल. टी. द्वारा आगे बढ़ने के लिए व्यक्त की गई राय से व्यथित है।

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष क्रमशः लंबित स्पष्टीकरण प्रस्तावों के बावजूद सी. आई. आर. पी. के साथ, जिसमें सी. आई. आर. पी. के कुल 270 दिनों की अवधि से स्पष्टीकरण आवेदन के दौरान की अवधि को बाहर करने के लिए आवेदन शामिल है, ने एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांक 6 मई, 2019 को कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.536/2019 द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष पारित आदेश पर हमला किया।

रास्ता

7. तदनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. ने आगे बढ़ना उचित समझा।

विचार के लिए दोनों अपीलों के साथ और विवादित निर्णय के माध्यम से उसी का निपटारा किया गया। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई प्रासंगिक चर्चा और निष्कर्ष को पैराग्राफ से देखा जा सकता है।

19 विवादित निर्णय के बाद। वही पढ़ा जाता है, इस प्रकारः

" 19. इन अपीलों में विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आवंटनकर्ताओं के हित में, जो इस 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' में प्राथमिक महत्व का है, 'जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड' है।

( कॉर्पोरेट देनदार) को इस आधार पर 'परिसमापन' के लिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए कि 270 दिन 6 मई, 2019 को समाप्त हो गए हैं या जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

& एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

17 सितंबर, 2018 से 4 जून, 2019 तक की अवधि जिसके दौरान

मामला विचार के लिए लंबित रहा

आबंटियों के मतदान के हिस्से से संबंधित प्राधिकरण का निर्णय

निर्णय "क्विन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के आलोक में 270 दिनों की गिनती के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए। लिमिटेड बनाम। मैक सॉफ्ट टेक प्रा. लिमिटेड और ओआरएस "। ' कंपनी अपील (एटी)

( 2018 का दिवाला) No.185 जिसमें यह अपीलीय न्यायाधिकरण देखा गयाः

" 9. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि यदि कोई आवेदन 'समाधान पेशेवर' या समिति द्वारा दायर किया जाता है

न्यायसंगत कारणों से लेनदारों या 'किसी भी पीड़ित व्यक्ति' के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 270 दिनों की कुल अवधि की गणना के उद्देश्य से 'कुछ अवधि को बाहर करने' के लिए हमेशा खुला है, यदि तथ्य और परिस्थितियां बहिष्कार को उचित ठहराती हैं।

अप्रत्याशित परिस्थितियाँ।

10. उदाहरण के लिए, अच्छे और अप्रत्याशित आधारों का पालन करने के लिए

उदाहरण के लिए, गिनती के लिए मध्यवर्ती अवधि को बाहर रखा जा सकता है

समाधान प्रक्रिया की 270 दिनों की अवधिः

यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है

( (i)

विधि न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।

( (ii) यदि निगमित दिवाला समाधान के दौरान कोई भी 'समाधान पेशेवर' किसी न किसी कारण से काम नहीं कर रहा है।

प्रक्रिया, जैसे कि निष्कासन।

( iii) प्रवेश/अधिस्थगन के आदेश की तारीख और उस वास्तविक तारीख के बीच की अवधि जिस पर 'समाधान पेशेवर' पूरा करने के लिए कार्यभार संभालता है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया।

( (iv) किसी मामले की सुनवाई करने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या माननीय द्वारा आदेश सुरक्षित रखा जाता है।

उच्चतम न्यायालय और अंत में 'समाधान पेशेवर' को निगम को पूरा करने में सक्षम बनाने का आदेश पारित करता है दिवाला समाधान प्रक्रिया।

( v) यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अलग कर दिया जाता है या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया जाता है और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को बहाल किया जाता है।

( vi) कोई अन्य परिस्थितियाँ जो बहिष्करण को उचित ठहराती हैं।

एक निश्चित अवधि।

हालांकि, अवधि के अपवर्जन के बाद, यदि आगे की अवधि की अनुमति दी जाती है तो दिनों की कुल संख्या 270 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है जो संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम समय सीमा है।

20. मान लीजिए, 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' के तहत कोई विनियमन नहीं बनाया गया था कि हजारों आवंटनकर्ताओं के मतदान हिस्से की गणना कैसे की जाएगी, जिनमें से सभी 'वित्तीय लेनदारों' के अर्थ में आते हैं और इस प्रकार वे इसके सदस्य हैं।

' ऋणदाताओं की समिति। यह इस पृष्ठभूमि में था कि आवंटनकर्ता संघ ने न्यायनिर्णायक से पहले आवेदन को प्राथमिकता दी।

प्राधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण), इलाहाबाद पीठ 17 सितंबर, 2018 को इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेगी। एन. सी. एल. टी. के दो माननीय सदस्यों ने 13 दिसंबर, 2018 को सिद्धांत पर मतभेद व्यक्त किया, जैसा कि ऊपर देखा गया है और मामले को तीसरे माननीय सदस्य के समक्ष रखने के लिए प्रधान पीठ को भेजा, जिन्होंने 24 मई, 2019 के आदेश द्वारा अपना निर्णय दिया है। इस बीच, 270 दिन बीत गए, अगर गिनती की जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रेषित करने की तारीख से, यानी 6 मई, 2019।

आदेश के लिए और अंतिम निर्णय तक यानी 4 जून, 2019 यानी उस तारीख तक जब तीसरे माननीय सदस्य द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लिया गया था। ( कुल 260 दिन), 270 दिनों की गिनती के उद्देश्य से बाहर रखा जा सकता है। हालाँकि, चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, हम जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड हैं।

& एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

260 दिनों की कुल अवधि को बाहर करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और इसके बजाय आवंटनकर्ताओं के हित में, हम इस उद्देश्य के लिए 90 दिनों को बाहर करते हैं।

'निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया' की 270 दिनों की अवधि की गणना, जिसे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए।

23. उपरोक्त अवधि को 'समाधान पेशेवर'/लेनदारों की समिति 'को नई' समाधान योजनाओं 'के लिए कॉल करने और बातचीत के बाद यदि आवश्यक हो तो सूचना और प्रसारण की धारा 30 की उप-धारा (5) के तहत उचित आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए बाहर रखा गया है।

कोड अधिमानतः 45 दिनों की अवधि के भीतर। 45 दिनों की शेष अवधि किसी भी कठिनाई और उचित आदेश को दूर करने के लिए दी जाती है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता है।

आबंटियों के मतदान के हिस्से को मतदान की तारीख/'विनियमन' और/या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के बहुमत निर्णय के अनुसार 'आई एंड बी कोड' के संदर्भ में गिना जाना चाहिए।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि इससे पहले की सभी 'समाधान योजनाओं' में शामिल हैं - 'ऋणदाताओं की समिति' द्वारा खारिज किए जाने के कारण 'एनबीसीसी' द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह 'एनबीसीसी' के लिए एक नई बेहतर 'समाधान योजना दायर करने के लिए खुला होगा। यह सूचित किया जाता है कि 'अडानी इन्फ्रा (आई) लिमिटेड' ने भी फाइल करने का प्रस्ताव रखा है।

25. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम 24 मई, 2019 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अपवर्जन का आदेश इस अपीलीय न्यायाधिकरण, सी. ए. No.115 2019 द्वारा सी. पी. सं. 'समाधान पेशेवर' द्वारा पसंद किए गए (आईबी) 77/एएलडी/2017 और 2019 की 'कंपनी याचिका (एटी) (दिवाला) No.536' में आक्षेपित 6 मई, 2019 के आदेश को निष्फल घोषित किया गया है। दोनों अपीलों का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है। "[2019] 14 एस. सी. आर.

8. इस फैसले पर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (संक्षेप में 'जे. ए. एल.') द्वारा हमला किया गया है। जे. आई. एल. जे. ए. एल. की सहायक कंपनी है। विश टाउन होम बायर्स वेलफेयर सोसाइटी (घर खरीदारों के संघ में से एक) द्वारा एक और अपील दायर की गई है। जे. ए. एल. द्वारा दायर अपील में कानून के दो प्रमुख प्रश्नों का आग्रह किया गया है। पहला यह है कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. के पास सी. आई. आर. पी. की वैधानिक अवधि से 90 दिनों को बाहर करने की शक्ति या अधिकार था, जो विवादित फैसले में बताए गए कारणों से बहुत कम था। दूसरा सवाल यह है कि क्या सी. ओ. सी. द्वारा क्रमशः 5 मई, 2019 और 10 जून, 2019 को सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. की समाधान योजनाओं को अस्वीकार करने के बावजूद, क्या एन. सी. एल. ए. टी. कुल सी. आई. आर. पी. अवधि से 90 दिनों की अवधि को अलग करने के बाद, दोनों बोलीदाताओं को अपनी संशोधित समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने और/या पात्र व्यक्तियों से नई समाधान योजना आमंत्रित करने की अनुमति देकर सी. आई. आर. पी. को फिर से शुरू कर सकता है और सी. ओ. सी. से बातचीत के बाद, यदि आवश्यक हो, तो उस पर पुनर्विचार करने का आह्वान कर सकता है। घर खरीदारों के संघ ने अपनी अपील में एनसीएलएटी की उपेक्षा करने की शक्ति पर भी सवाल उठाया है।

सूचना और प्रसारण संहिता के अनिवार्य प्रावधान और वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने के लिए निर्देश जारी करना सी. आई. आर. पी.

9. इन अपीलों में जिस सीमित मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है, वह एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. की शक्ति के बारे में है, जैसा भी मामला हो, बिना अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में वैधानिक अवधि से किसी भी अवधि को बाहर करने के लिए। उस संबंध में सूचना और प्रसारण संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान। इसके अलावा, क्या यह उस बोलीदाता को अनुमति देने के लिए खुला है जिसकी समाधान योजना को पहले ही खारिज कर दिया गया है

10. प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारे लिए यह स्पष्ट हो गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए रुख को स्वीकार करने में अपरिहार्य चूक यह होगी कि विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाए और पक्षों को ऐसी स्थिति में भेज दिया जाए जहां एकमात्र विकल्प आई एंड बी संहिता के भाग II के अध्याय III के तहत जे. आई. एल. से संबंधित परिसमापन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना होगा, इस आधार पर कि आई एंड बी संहिता की धारा 12 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति से पहले कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है। बी कोड या आई एंड बी कोड की धारा 31 के तहत समाधान योजना की अस्वीकृति का मामला होना। हालाँकि, दलीलों के दौरान, अपीलकर्ता जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड सहित सभी हितधारकों के बीच पूर्ण सहमति रही है।

& एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

इस न्यायालय के समक्ष कि जे. आई. एल. के परिसमापन को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह इससे हितधारकों के हितों को अधिक नुकसान होगा, विशेष रूप से बड़ी संख्या में घर खरीदार, जो जल्द से जल्द अपना घर पाने की इच्छा रखते हैं।

11. इस न्यायालय के समक्ष हितधारकों द्वारा ली गई स्थिति और अन्य रिट याचिकाओं और विविध के लंबित होने पर विचार करते हुए

घर खरीदारों और जे. ए. एल. द्वारा भी निर्देश जारी करने और आदेश पारित करने के लिए आवेदन किए जाते हैं और यदि आवश्यक हो, तो स्थिति को बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और एक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए आवेदन किए जाते हैं जो सभी संबंधित लोगों और विशेष रूप से बड़ी संख्या में घर खरीदारों के हितों को कम करेगा, जिनके पास सी. ओ. सी. का घटक होने के नाते 62.3% (जैसा कि आई. आर. पी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है) का मतदान हिस्सा है, हमारे लिए संबंधित पक्षों द्वारा बार में की गई प्रस्तुतियों पर विस्तार करना और अपीलकर्ताओं द्वारा अब तक उल्लिखित कानून के प्रश्नों का उत्तर देना उचित या आवश्यक नहीं हो सकता है। इसके बजाय, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। चित्रा शर्मा (ऊपर) में व्याख्या को प्रभावी बनाने और हमारे सामने पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए। ऐसा करने में, हमारे पास हो सकता है

उसी मार्ग को अपनाना जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 22 से 24 में कुछ संशोधन के साथ उल्लेख किया गया है।

12. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि घर खरीदारों का एक वर्ग विवादित फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए आया है क्योंकि वे इसे स्वीकार करते हैं।

वास्तविक आशंका है कि पात्र व्यक्तियों से नए प्रस्ताव आमंत्रित करने के कारण पूरी प्रक्रिया में और देरी हो जाएगी। हालाँकि, हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए कि हम नए प्रस्ताव को आमंत्रित करने के पक्ष में नहीं हैं सी. ओ. सी. द्वारा नए सिरे से विचार किए जाने के लिए अन्य पात्र व्यक्तियों की योजनाएं, जैसा कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा उल्लेख किया गया है। हम इस बारे में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे।

13. हम घर खरीदार संघ, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव पर भी ध्यान देते हैं कि पूरी प्रक्रिया को बनाए रखा जाए

आई एंड बी कोड वितरण के बाहर और इस न्यायालय द्वारा सीधे निगरानी की जानी चाहिए। हालाँकि, उक्त निवेदन को स्वीकार करने का प्रलोभन चित्रा शर्मा (सुरपा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय के विपरीत है। पैराग्राफ 39 में

उक्त निर्णय के बारे में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 39. ..... आई. आर. पी. के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. में जिसे संशोधित आई. बी. सी. के तहत पुनर्गठित किया जाएगा, घर खरीदारों के पास पर्याप्त मतदान शक्ति होगी ताकि वे [2019] 14 एस. सी. आर. करने में सक्षम हो सकें।

प्रभावी ढंग से अपने हितों की रक्षा करें। इसके अलावा, इस न्यायालय को

आई. बी. सी. के अनुशासन का पालन करें जिसे संसद द्वारा विशेष रूप से निगम के संकल्प को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

दिवालिया। निगमित दिवालियापन से जुड़े मामलों के लिए विशेषज्ञ निर्धारण की आवश्यकता होती है। विधायिका ने विशिष्ट प्रावधान किए हैं जिनकी परिकल्पना जनहित में और अच्छे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है।

निगमित शासन। न्यायालय को खुद को नहीं लेना चाहिए

समाधान प्रक्रिया की जटिलताओं की निगरानी का बोझ। आई. बी. सी. के बाहर समाधान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति नियुक्त करने वाले न्यायालय के श्री नरीमन (और श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित दो विकल्पों में से एक) के सुझाव को स्वीकार करने से न्यायालय मूल्यांकन के एक अपरिहार्य बोझ में शामिल हो जाएगा।

वित्तीय विशेषज्ञता के जटिल मामले जिन पर संसद ने विशिष्ट तंत्र बनाने के लिए कानून बनाया है। हमारा दृढ़तापूर्वक यह विचार है कि न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सी. आई. आर. पी. की देखरेख के लिए एक समिति नियुक्त करे और

समिति के कार्यों की निगरानी करना। हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि आई. बी. सी. में निर्धारित तंत्रों को न्यायिक निर्देशों के तहत एक तंत्र के साथ प्रतिस्थापित करके उनका स्थान न लिया जाए। हमारे विचार में इस तरह की कार्रवाई कानून के शासन के तहत अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी। इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग वर्तमान चरण में 9 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा आई. आर. पी. की नियुक्ति के चरण से समाधान प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप उस अवधि को नवीनीकृत किया जाना चाहिए जो आई. आर. पी. के लिए निर्धारित की गई है।

समाधान प्रक्रिया को पूरा करना "।

जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. का पुनरुद्धार चित्रा शर्मा के मामले में इस निर्णय के कारण हुआ है और इसलिए यह सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा। यह उन्हीं दलों के बीच है। 14. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विवादित निर्णय में इंगित पाठ्यक्रम को हमारे निर्देश के रूप में अपनाने का भी प्रभाव हो सकता है -

चित्रा शर्मा (उपरोक्त) में अनुच्छेद 42 (i) में दिए गए निर्देशों को संशोधित करते हुए, अर्थात्, 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. का समापन आदेश की तारीख, यानी 9 अगस्त, 2018 से शुरू होगा और आगे का विस्तार केवल 90 दिनों के लिए हो सकता है। हालांकि, आई एंड बी कोड के बाहर तंत्र प्रदान करने के लिए हितधारकों के रुख को स्वीकार करना एक बात है, न कि जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

& एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। & एएनआर।

और आबंटियों को शामिल करने के कारण सी. ओ. सी. के वोट शेयर की गणना कैसे की जाए जैसे मामलों पर संदेह को दूर करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण / घर खरीदार वित्तीय लेनदार के रूप में। घर खरीदारों ने भी सुरक्षित लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया है। इन सभी मुद्दों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा हल किया जा रहा है। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि एन. सी. एल. टी. सप्ताह के केवल दो दिनों में काम कर रहा था और जब उसने स्पष्टीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लिया, तो सदस्यों के बीच मतभेद था जिसे तब एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष द्वारा हल करने की आवश्यकता थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक पक्ष अनावश्यक या टालने योग्य मुकदमेबाजी का सहारा लेकर दूसरे पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। तथ्य यह है कि चित्रा शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित 9 अगस्त, 2018 के आदेश के अनुसार समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद जल्द से जल्द 17 सितंबर 2018 को घर खरीदारों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किया गया आवेदन काफी समय से लंबित था। यह देरी कानून की देरी के कारण हुई है। एन. सी. एल. टी. के समक्ष और बाद में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के लिए न तो घर खरीदारों और न ही अन्य वित्तीय लेनदारों को दोषी ठहराया जा सकता है। एन. सी. एल. टी. ने उक्त मुद्दे को हल करने में अनिश्चितता को महसूस करते हुए, लंबित आई. ए. के परिणाम के अधीन समाधान योजना के साथ आगे बढ़ना चाहा, जैसा कि 6 मई, 2019 के अपने आदेश से प्रकट होता है। यहां तक कि यह [2019] 14 एस. सी. आर. द्वारा दायर अपील में चुनौती का विषय बन गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आई. डी. बी. आई. जिसे अंततः विवादित व्यक्ति के माध्यम से निपटाया गया था।

निर्णय।

16. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि लगातार प्रयोगों के कारण एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई थी जो अलग-अलग समय पर हुई थी।

संतोषजनक नहीं, इस शर्त के अधीन कि अनुरोध अंतिम सूची में सभी संभावित समाधान आवेदकों को किया जाता है। वर्तमान मामले में, अंत में केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया योजना जिसे सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, विनियमन 36 बी (7) के अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, हम आईआरपी को दो बोलीदाताओं (सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी) को समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध को फिर से जारी करने और/या उन्हें संशोधित समाधान योजना (ओं) प्रस्तुत करने के लिए कहने की अनुमति देना उचित समझते हैं, जिसे फिर इसके उचित विचार के लिए सीओसी के समक्ष रखा जा सकता है।

17. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्ताव सहित इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी पक्षों के बीच सर्वसम्मति है।

आवेदक ने कहा कि जे. आई. एल. के परिसमापन को रोका जाना चाहिए और इसके बजाय कुछ व्यवहार्य व्यवस्था का पता लगाकर स्थिति को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए जो सभी संबंधित लोगों के हितों को कम करेगा। 18. ऊपर उल्लिखित विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि हमें निगमित देनदार (ए. आई. एल.) को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के लिए अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा न हो कि यह आई एंड जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड के भाग II के अध्याय III के तहत परिसमापन प्रक्रिया के संपर्क में आ जाए।

उनमें से कई को कब्जे में ले लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है और कुछ मामलों में पूरा होने के अग्रिम चरण में है। इस पृष्ठभूमि में, यह सभी संबंधित लोगों के हित में होगा कि वे हाल के विधायी परिवर्तनों को दर्शाने वाली एक व्यवहार्य योजना को स्वीकार करें। 19. वास्तव में, धारा 12 (3) का तीसरा परंतुक दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा का अनुमान लगाता है।

16 अगस्त, 2019 से प्रभावी। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार की दिवालिया समाधान प्रक्रिया लंबित है और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई है, वहां ऐसी समाधान प्रक्रिया की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरुआत

( संशोधन) अधिनियम, 2019 "।

इस मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना उचित, उचित और समीचीन समझते हैं।

और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 इसका मतलब है, इस आदेश के संदर्भ में, जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. आज से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा। 20. हम आदेश की प्रकृति के लिए संबंधित वकील के तर्कों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं जो हम पारित करना चाहते हैं,

इसमें जे. ए. एल. के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी शामिल है, जो हमारी राय में, जे. ए. एल. के खिलाफ पहले से ही अधिनियम की धारा 29 ए के आधार पर उत्तर दिया गया है, जैसा कि चित्रा शर्मा (ऊपर) में बताया गया है।

21. तदनुसार, हम पक्षों के लिए और सभी हितधारकों के हित में पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं।

जे. आई. एल.:

i) हम आई. आर. पी. को आज से 90 दिनों के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश देते हैं। पहले 45 दिनों में, आई. आर. पी. केवल सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. से संशोधित समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए खुला रहेगा, जो क्रमशः अंतिम बोलीदाता थे और जिन्होंने पहले के अवसर पर समाधान योजना प्रस्तुत की थी और संशोधित योजना (योजनाओं) को सी. ओ. सी. के समक्ष, यदि आवश्यक हो, बातचीत के बाद रखेगी और ऐसे [2019] 14 एस. सी. आर. के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

समय। 21 दिसंबर, 2019 से शुरू होने वाले 45 दिनों के दूसरे चरण में, किसी भी कठिनाई को दूर करने और उस पर न्यायनिर्णायक द्वारा उचित आदेश पारित करने के लिए सीमा का प्रावधान किया गया है।

प्राधिकरण। एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष किसी भी अन्य आवेदन की लंबितता, जिसमें कोई भी अंतरिम निर्देश भी शामिल है, आई. आर. पी. के लिए उपरोक्त दो नामित बोलीदाताओं से संशोधित समाधान योजना प्राप्त करने और उसे संसाधित करने और आई. एंड बी. संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित विस्तारित समय सीमा के भीतर इसे अपने तार्किक अंत तक ले जाने में कोई बाधा नहीं होगी।

इस आदेश की शर्तें। हम निर्देश देते हैं कि आई. आर. पी. व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किसी भी रुचि (बेहतर) समाधान योजना की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, जो शर्तों में बहुत कम अयोग्य है।

ये निर्देश वर्तमान मामले के तथ्यों में असाधारण स्थिति में जारी किए जाते हैं और इन्हें एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश को दोनों अपीलों में उठाए गए कानून के सवालों के जवाब के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसमें जारी करने के लिए एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. की शक्ति की मान्यता भी शामिल है।

निर्देश या आदेश जो सूचना और प्रसारण संहिता और विनियमों में निर्दिष्ट वैधानिक समयसीमा और शर्तों के अनुरूप नहीं है

इसके नीचे फ्रेम किया गया।

दोनों अपीलों का निपटान इस आदेश के संदर्भ में लागत के संदर्भ में किया जाता है। अपीलों के साथ, उसमें दायर आवेदन 1 का निपटारा कर दिया गया।

अपीलों का निपटारा किया गया।